

उनवान

सोजीराम पुत्र सुवा चमार निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- वादी

बनाम

- 1- कल्याण पुत्र देवा चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- मु. केसर देवी पुत्री देवा चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- मु. गुलाबी पुत्री देवा चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- गोपाल पुत्र हजारी चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- मु. चांदु पत्नी हजारी चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- जगन्नाथ पुत्र देवा चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- बालु पुत्र सुवा चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- मु. भुला पुत्री हजारी चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- रंगलाल पुत्र सुवा चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- रामस्वरूप पुत्र सुवा चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 11- मु. लाड पुत्री हजारी चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 12- नारायण पुत्र लादु चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 13- मु. प्रेम पुत्री सुवा चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 14- रामकिशन पुत्र लादु चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 15- लक्ष्मण पुत्र लादु चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 16- लक्ष्मण पुत्र लादु चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 17- मु. सीता पुत्री सुवा चमार निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 18- मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 19- मैनेजर एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा विजयनगर
- 20- मैनेजर एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा शाहपुरा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात

मुकदमा नम्बर 51/2023 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी
जाती है कि :-

वाद स्वयं द्वारा उपस्थित हो नोट प्रेस किया जाकर वाद पत्र में आगे कार्यवाही नहीं
बहने से वाद नोट प्रेस में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख
तक सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 20 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं